पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अमित कुमार और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8991

07 मई, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता, संविदा कर्मचारियों का एक समूह, जो पिछले 12 वर्षों से राज्य के पदाधिकारी के अधीन काम कर रहे हैं, स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियमित/समावेशित होने के हकदार हैं या नहीं?

हेडनोट्स

भारत का संविधान----अनुच्छेद 226, 14, 16, 19, 21----संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और आमेलन----सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग---अनुच्छेद 226 के विरुद्ध संविदा कर्मचारी---पिछले 12 वर्षों से राज्य के पदाधिकारी के अधीन काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के एक समूह द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए रिट याचिका, जिसके द्वारा उन्हें बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित की जाने वाली नई चयन प्रक्रिया के अधीन बनाया गया है; यह घोषित करने के लिए कि 31 जुलाई, 2019 के ज्ञापन संख्या 436 में निहित राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर याचिकाकर्ताओं की सेवाएं स्थायी प्रकृति की हैं; और, प्रतिवादियों को रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं को रखने का निर्देश देने के लिए। निर्णय: निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता 2013 से काम कर रहे हैं---उनकी प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 436, दिनांक 31 जुलाई, 2019 के अनुसार, उनकी सेवा की

अवधि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या परियोजना के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी थी---ऐसे निर्णय के मद्देनजर, जिलों में कार्यकारी प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं के अनुबंध को साल-दर-साल आधार पर नवीनीकृत नहीं करने का निर्देश दिया गया था---इसके अलावा, प्रतिवादियों ने नियमित कर्मचारियों के समान याचिकाकर्ताओं को मूल्यवान अधिकार दिए हैं--- याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट, पूर्णिया द्वारा गठित समिति द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया द्वारा की गई थी---चूंकि याचिकाकर्ता 2013 से पूर्णिया जिले में राज्य के स्वामित्व वाले अस्पतालों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए अब उन्हें अधिसूचना के अनुसार बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है---सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का दिनांक 31 जुलाई, 2019 का आदेश राज्य प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनकी सेवा से वापसी के लिए कोई आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देता है---वर्ष 2021 में, राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में डेटा केंद्रों को चलाने का निर्णय लिया----सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कानूनी रूप से स्वीकार्य है, लेकिन श्रम कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है----सरकारी विभाग कार्यों और सेवाओं को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए---- आउटसोर्सिंग के उक्त नीतिगत निर्णय को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे संविदा कर्मचारियों (याचिकाकर्ता) को, जो लंबे समय से समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, कार्यकुशलता के आधार पर उनकी नौकरी समाप्त किए बिना, नए आवेदकों के साथ बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत होने का निर्देश दिया जा सके----राज्य के पदाधिकारी

के अधीन काम करने वाला एक संविदा कर्मचारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यकारी निर्देश को चुनौती दे सकता है, जब अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है---वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को आरा और अररिया जिले में काम करने वाले उनके साथी कार्यकारी सहायकों से अलग व्यवहार किया जाता है---रिट की अनुमति। (पैरा- 44, 45, 53, 55, 59, 60, 61, 63)

न्याय दृष्टान्त

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5823 वर्ष 2020 .....लागू नहीं माना गया; चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार एवं अन्य बनाम मोनिका एवं अन्य ; दीवानी अपील संख्या 10800 वर्ष 2024 ; जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य, **2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3826** .....पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

अनुबंधित कर्मचारी ; राज्य का पदाधिकारी ; अनुबंधित कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं आमेलन ; सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग ; अनुच्छेद 226 के अनुसार संविदा कर्मचारी ; रोजगार अनुबंध ; नई चयन प्रक्रिया ; सेवा वापसी ; स्थायी कर्मचारी ; कार्यकारी निर्देश ; मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

प्रकरण से उत्पन्न

ज्ञापन संख्या में निहित पत्र 956 दिनांक 18.08.2021 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा निधि की कमी के कारण स्थापना, जिला पूर्णिया को वापस कर दी गई है और ज्ञापन संख्या 1416 दिनांक 23.12.2021 में निहित पत्र जिला अधिकारी,

पूर्णिया के हस्ताक्षर से जारी किया गया है जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की सूची उचित कार्रवाई करने के लिए बेल्ट्रॉन को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री आशीष गिरि, सीनियर एडवोकेट ; श्री सुमित कुमार झा, एडवोकेट ; सुश्री रिया गिरि, एडवोकेट

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री प्रभात कुमार वर्मा (एएजी 3) ; श्री सुमन कुमार झा, एसी से एएजी 3

स्वास्थ्य सोसायटी के लिए: श्री के.के. सिन्हा, अधिवक्ता

बेल्ट्रोन के लिए: श्री ग्रिजेह कुमार, अधिवक्ता

निजी प्रतिवादी संख्या 13 के लिए: श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता ; श्री राजीव कुमार, अधिवक्ता ;श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनॉट्स बनाया गया : घनश्याम, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8991

==========

1. अमित कुमार पिता- परमेश्वर प्रसाद, निवासी नगर पंचायत भवन रोड, बनमनखी, डाकघर और थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया, पिन 854202।
2. श्याम नाथ मेहता, पिता- शिव नाथ प्रसाद मेहता, निवासी न्यू शास्त्री नगर, डाकघर और थाना-मधुबानी, जिला पूर्णिया, पिन 854301।
3. राजकुमार गोस्वामी, पिता- शंकर गोस्वामी, निवासी नाका चौक पूर्णिया सिटी, डाकघर-पूर्णिया सिटी, थाना-सदर, जिला पूर्णिया, पिन 854302।
4. ओम प्रकाश कुमार, पिता- अर्जुन रॉय, निवासी काली प्रसाद तोला मधुबनी, डाकघर-पूर्णिया, थाना- के.हाट, जिला पूर्णिया, पिन 854301।

5. कुमार राहुल, पिता- प्रदीप कुमार सिन्हा, निवासी मधुबनी बाजार, सिन्हा पब्लिक स्कूल के पास, डाकघर और थाना मधुबानी, जिला पूर्णिया, पिन 854301।
6. राहुल कुमार, पिता- बीरेंद्र प्रसाद मेहता, निवासी- डाकघर गढ़िया बलुआ, वार्ड संख्या 6, थाना के. नगर, जिला पूर्णिया, पिन 854304।
7. राजीव कुमार, पिता- देवेंद्र नारायण मलिक, निवासी- वार्ड संख्या 8, धारहरा, पावर सब स्टेशन बनमनखी के पास, डाकघर और थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया, पिन 854202।
8. सुभाष कुमार, पिता- सूर्य नारायण साह, निवासी ग्राम हनुमान नगर, डाकघर काझा, थाना के. नगर, जिला पूर्णिया, पिन 854304।
9. संजीव कुमार सिन्हा, पिता- अनिल कुमार सिन्हा, निवासी राम नगर बैंक कॉलोनी, डाकघर-पॉलिटेक्निक, थाना के. हाट, जिला पूर्णिया, पिन 854301।
10. सुमित कुमार, पिता- बिंदा सिंह, निवासी डाकघर और थाना- भवानीपुर, जिला पूर्णिया, पिन 854204।
11. अनिल कुमार चौधरी, पिता- सीताराम चौधरी, निवासी निशीगंज, लाइन बाजार, डाकघर-पूर्णिया, थाना के. हाट, जिला पूर्णिया, पिन 854301।
12. चंदन कुमार, पिता- दिनेश दास, निवासी शिवनगर नेवालाल चौक, डाकघर -लालगंज, थाना मरागा, जिला पूर्णिया, पिन-854301।
13. प्रीति देब, पिता- रवीन्द्र कुमार देब, निवासी दुर्गा मंदिर के पास, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन, डाकघर पूर्णिया, थाना- के. हाट, जिला पूर्णिया पिन 854301।
14. बिनिता कुमारी, पिता- उमेश कुमार पासवान, निवासी बारीहाट, दुर्गा मंदिर के पास, डाकघर पूर्णिया, थाना के. हाट, जिला पूर्णिया, पिन 854301।
15. अंकुश कुमार, पिता- लखन लाल यादव, निवासी ग्राम बाघमारा, डाकघर- बेला रिकाबगंज, थाना- के. नगर, जिला पूर्णिया, पिन 854301।
16. रवि शेखर, पिता- विक्रम प्रसाद, निवासी आनंदपुरी, डाकघर पूर्णिया, थाना शायक खजांची, जिला पूर्णिया।
17. शिव कुमार दास, पिता- माधव नारायण दास, निवासी विकास नगर मारंगा पूर्व, डाकघर पॉलिटेक्निक, थाना के. हाट, जिला पूर्णिया, पिन 854301।
18. जितेंद्र कुमार, पिता- संत लाल रजक, निवासी- संत निवास, रामनगर, डाकघर पॉलिटेक्निक, थाना के. हाट, जिला पूर्णिया, पिन 854303।

19. शिव शंकर कुमार मेहता, पिता- अशोक कुमार मेहता, निवासी बलुआ (अमापुर), डाकघर- गढ़िया बलुआ, थाना- के. नगर, जिला पूर्णिया, पिन 854304।
20. प्रकाश कुमार चौहान, पिता- हरि प्रसाद चौहान, निवासी चौहान तोला, खुशकीबाग, डाकघर खुशकीबाग, थाना- सदर, जिला पूर्णिया, पिन 854305।
21. सौरभ सुमन, पिता- हीरा लाल मंडल, निवासी सुभाष नगर, डाकघर और थाना- कस्बा, जिला पूर्णिया, पिन 854330।
22. मोहम्मद सलीम ज़फर, पिता- मोहम्मद मोहिउद्दीन क़ासमी, निवासी क़ासमी मंज़िल, राहत कॉलोनी, बड़ी मस्जिद के पास, सिपाही टोला, डाकघर पूर्णिया, थाना मधुबनी टॉप, जिला पूर्णिया, पिन 854301।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. बिहार सरकार के अतिरिक्त सचिव, पटना।
3. प्रबंध निदेशक, बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसायटी, बिहार सरकार, पटना।
4. अतिरिक्त निदेशक, बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसायटी, बिहार सरकार, पटना।
5. ओएसडी, बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसायटी, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, पटना, बिहार।
8. जिला अधिकारी, पूर्णिया, बिहार।
9. डीडीसी, पूर्णिया, बिहार।
10. अतिरिक्त उपायुक्त (स्थापना), पूर्णिया, बिहार।
11. सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समाज,पूर्णिया, बिहार,
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समाज, पूर्णिया, बिहार।
13. मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पेन अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी जिसका कार्यालय 31/ए, पहली मंजिल, बांके बिहारी सदन, सहदेव महतो श्रीकृष्णपुरी, थाना श्रीकृष्णपुर, पटना अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

14. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेलट्रॉन), जे442-64 क्यू, बलदेव भवन रोड, थाना शास्त्री नगर, बेलट्रॉन, पटना बिहार 800023 अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :-

याचिकाकर्ता/ओं के लिए :	श्री आशीष गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता
	श्री सुमित कुमार झा, अधिवक्ता
	सुश्री रिया गिरि, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिएः	श्री प्रभात कुमार वर्मा (एएजी 3)
	श्री सुमन कुमार झा, एसी से एएजी 3
स्वास्थ्य समाज के लिएः	श्री के. के. सिन्हा, अधिवक्ता
बेलट्रॉन के लिएः	श्री ग्रिजेह कुमार, अधिवक्ता
निजी प्रतिवादी संख्या 13 के लिएः	श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता
	श्री राजीव कुमार, अधिवक्ता
	श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

सीएवी निर्णय

दिनांकः 07-05-2025

1. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया हैः-

> *"i. पूर्णिया जिले में कार्यकारी सहायक के रिक्त पद पर याचिकाकर्ताओं को रखने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए अनिवार्य रूप से उपयुक्त रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने के लिए।*
>
> *ii. उत्तरदाताओं को अगस्त, 2021 की अवधि से अब तक सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रूप से उपयुक्त रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने के लिए।*

iii. उचित रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने के लिए जो कि प्रमाण पत्र के रूप में हो ज्ञापन संख्या 956 दिनांक 18.08.2021 में निहित है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा स्थापना, जिला पूर्णिया को धन की कमी के कारण वापस कर दी गई है।

iv. जिला अधिकारी, पूर्णिया के हस्ताक्षर के तहत जारी ज्ञापन संख्या 1416 दिनांक 23.12.2021 में निहित पत्र को अलग करने के लिए रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की सूची उचित कार्रवाई करने के लिए बेलट्रॉन को प्रस्तुत की गई है।

v. इस घोषणा के लिए कि अतिरिक्त मिशन निदेशक, बिहार प्रशानिक सुधार मिशन द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 1347 दिनांक 18.08.2021 में निहित कार्यालय आदेश याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है।

vi. यह अभिनिर्धारित करना और घोषित करना कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं अतिरिक्त मिशन निदेशक, बिहार प्रशानिक सुधार मिशन, पटना के हस्ताक्षर के तहत जारी ज्ञापन संख्या 436 दिनांक 26.02.2019 में निहित अधिसूचना के आधार पर स्थायी प्रकृति की हैं, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों की सेवाओं को साठ वर्ष की आयु तक या योजना के समाप्त होने तक बढ़ाया गया है।

vii. यह अभिनिर्धारित करना और घोषित करना कि याचिकाकर्ताओं को योजना के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है, बल्कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नियमित प्रकृति की है।

viii. किसी भी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय द्वारा हकदार पाए जा सकते हैं।"

2. 6 जून, 2013 को बिहार प्रशानिक सुधार मिशन, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना (इसके बाद संक्षिप्त में "बीपीएसएम" के रूप में संदर्भित), ने अनुबंध के आधार पर कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना के खंड-1 ने उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड प्रदान किए, जो

मैट्रिक और कंप्यूटर संचालन प्रणाली (एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर प्वाइंट, आदि) का बुनियादी ज्ञान था। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उक्त संविदात्मक नियुक्ति शुरू में एक वर्ष के लिए होगी।हालांकि, ऐसे उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति की अवधि बढ़ाने की शर्त थी। चयन की प्रक्रिया उक्त अधिसूचना के खंड-4 में बताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जिला स्तर पर दायर आवेदनों के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति आरक्षण से संबंधित नियमों/रोस्टर को ध्यान में रखते हुए एक पैनल तैयार करेगी और उम्मीदवारों की नियुक्ति रिक्त पदों के खिलाफ वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।

3. तदनुसार, पूर्णिया जिले के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ज्ञापन संख्या 2487, दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 के तहत एक पैनल तैयार किया गया। तत्पश्चात, सचिव, स्वास्थ्य एवं कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 8592, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013, ज्ञापन संख्या 9842, दिनांक 10 दिसंबर, 2013 के साथ पठित, के तहत, जिला अधिकारी ने दिनांक 20 नवंबर, 2013 के एक आदेश के तहत निर्देश दिया कि पैनल से कार्यपालक सहायक को पैनल में शामिल उम्मीदवारों की काउंसलिंग के आधार पर पूर्णिया जिले के राजकीय अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। 14 दिसंबर, 2013 को काउंसलिंग आयोजित की गई, जिसमें पैनल के 34 उम्मीदवार उपस्थित हुए और उन्हें जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में कार्यपालक सहायक के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया।

4. यद्यपि यह वर्तमान रिट याचिका में विवाद के निर्णय के उद्देश्य से बहुत प्रासंगिक नहीं है, यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं

को प्रारंभ में 14 मार्च, 2014 की अधिसूचना के आधार पर 11,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन बाद में, सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया द्वारा जारी एक अधिसूचना के आधार पर वेतन घटाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति शुरू में एक वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन वे पूर्णिया जिले के विभिन्न अस्पतालों में कार्यपालक सहायक के रूप में कई वर्षों से अपनी सेवाएँ दे रहे थे। 3 जुलाई, 2015 को, बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें जिलाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कार्यपालक सहायकों के साथ समान व्यवहार करें, समान सेवा शर्तों का पालन करें और वेतन का भुगतान करें। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी और बिहार असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 860, दिनांक 18 सितंबर, 2018 द्वारा, एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार, विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित एक आदेश पारित किया गया, जिसमें कुछ प्रस्तावों के क्रियान्वयन की सिफारिश की गई थी। उक्त अधिसूचना के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत हैं:

> *"2. समिति ने प्रत्येक योजना/विभाग के तहत काम करने वाले संविदात्मक कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भी सिफारिशें दी हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि समिति द्वारा दी गई नीतिगत सिफारिशों में से कौन सी विभिन्न कर्मचारियों के संबंध में लागू होगी। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें दो परिस्थितियों में की गई हैं -*
>
> *(i) कुछ परियोजनाओं/योजनाओं की अवधि सीमित होती है। ये परियोजनाएँ आमतौर पर केंद्रीय/केंद्र प्रायोजित/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ/योजनाएँ होती हैं और एक सीमित अवधि के लिए*

स्वीकृत होती हैं। निर्धारित अवधि के बाद इनका कार्यान्वयन केंद्र सरकार/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के अधीन होता है। इसलिए, नियुक्तियाँ परियोजनाओं की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर की जाती हैं। इस श्रेणी में ऐसी नियुक्तियाँ भी शामिल हैं जहाँ पदों का सृजन अस्थायी है और केवल संविदा नियुक्ति के लिए किया गया है।

(ii) दूसरी स्थिति में, पद स्थायी है, लेकिन नियमित नियुक्तियां होने तक लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के लिए सिफारिशें देने में देरी के कारण नियुक्तियां अनुबंध पर की जाती हैं।

(जोर दिया गया)

... .

4. समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं:

(i) अनुबंध कर्मचारियों की उपरोक्त दो श्रेणियों के संबंध में समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार का निर्णय परिशिष्ट 'ए' के रूप में संलग्न है।

(ii) बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली डेटा एंट्री सेवाओं का लाभ सभी विभागों द्वारा उठाया जा रहा है। अतः, सभी विभागों से परामर्श के बाद, इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उच्च स्तरीय समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजा जाना चाहिए।

(iii) कुछ विभागों के अधीनस्थ बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों में काम करने वाले संविदात्मक कर्मचारी, जिनके संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन रिपोर्ट में कोई सिफारिश नहीं की गई है। समिति को इस संबंध में पुनर्विचार करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(iv) ऐसे मामलों में जहां समिति द्वारा अनियमित/अवैध नियुक्तियों पर चर्चा की गई है, प्रशासनिक विभाग कानूनी राय प्राप्त करने के बाद उचित कार्रवाई करेगा।"

परिशिष्ट (ए)

1.के- संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा को सेवानिवृत्ति की आयु या योजना अवधि, जो भी पहले हो, तक जारी रखने के संबंध में। (समिति रिपोर्ट पृष्ठ 276-278)

(जोर दिया गया)

समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रिमंडल द्वारा समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद, 2022 का प्रत्येक संबंधित विभाग/प्राधिकरण/निगम/सोसायटी इस आशय का कार्यालय आदेश जारी कर सकता है कि संविदात्मक कर्मचारियों की यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी का आदेश प्राप्त करने के बाद पूरी तरह से अस्थायी है और योजना/पद स्वीकृति की अवधि या नियमित नियुक्ति तक है।यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि खराब स्वास्थ्य या अनुशासनात्मक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण या सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त करने पर, योजना/पद की स्वीकृति की अवधि से पहले या नियमित नियुक्ति से पहले भी सेवा समाप्त की जा सकती है। कार्यालय आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि संविदात्मक नियुक्ति की अन्य शर्तें वही रहेंगी जो नियुक्ति के समय जारी किए गए नियुक्ति पत्र, समझौते और क्षतिपूर्ति बांड पत्र (जहां भी लागू हो) में उल्लिखित हैं। यह आदेश संविदात्मक कर्मचारियों के सभी पदों के लिए अलग से जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग आदेश जारी करने में देरी हो सकती है और इस बीच कई अनुबंध कर्मचारियों का वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो सकता है।इसलिए, इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक पैराग्राफ ज्ञापन संख्या 3/एम-78/2005-संख्या। 2401, दिनांक 18.07.2007 को संशोधित किया जा सकता है।(जोर दिया गया)

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित तीन सिफारिशों को भी उक्त ज्ञापन में शामिल किया जा सकता है -

(1) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कभी-कभी यह संभव है कि अनुबंध पदों पर काम करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को उस विभाग में आवश्यक नहीं है जहां वे काम कर रहे हैं, लेकिन समान पदनाम और समान योग्यता के पद अन्य विभागों में खाली हैं और उन पदों पर नियुक्ति अनुबंध के आधार पर आवश्यक है।ऐसी स्थिति में, उन पदों/पदों पर नई नियुक्तियां करने के बजाय, अन्य विभागों में समान पदनाम और योग्यता वाले पदों पर काम करने वाले अनुबंध कर्मचारी, जिनकी अब

उस विभाग में आवश्यकता नहीं है, उन्हें अन्य विभागों में खाली पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।इसके लिए संबंधित विभाग के साथ एक नया समझौता करना होगा। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा उन अनुबंधित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें अनुशासनात्मक कारणों से हटा दिया गया है।(जोर दिया गया)

(2) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कई संविदा कर्मचारी नियमित नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार/अन्य जाँच में सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में, यदि नियमित नियुक्ति के बाद भी पद रिक्त रहते हैं, तो उन कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति के बजाय नियमित नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

(3) समिति के समक्ष कुछ मामले आए हैं जिनमें पद की उपलब्धता के बावजूद संविदात्मक कर्मचारियों को हटा दिया गया है क्योंकि नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे जहां एक ओर विभागीय कार्य बाधित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि जहां ऐसे मामले हैं, वहां हटाए गए संविदात्मक कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियां होने तक नियुक्त किया जा सकता है।(जोर दिया गया)

5. 18 सितंबर, 2018 की उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर, सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बीपीएसएम ने 26 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या 436 जारी की, जिसमें निर्देश दिया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ:-

(i) बीपीएसएम के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक-सह-कार्यकारी सहायक, योजना के पूरा होने तक या 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, कार्यरत रहेंगे। इसलिए, संविदा कर्मचारियों के रोजगार की वार्षिक आधार पर पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) नियुक्ति प्राधिकरण को 60 वर्ष की प्राप्ति या योजना के पूरा होने से पहले संविदात्मक कर्मचारियों की सेवाओं को उनकी

शारीरिक बीमारी, प्रशासनिक कारण या अक्षमता के आधार पर समाप्त करने का अधिकार है।

(iii) सेवा के लिए समझौते में निहित अन्य सभी शर्तें जो सेवा के लिए समझौते द्वारा निष्पादित कर्मचारी लागू रहेंगे।

6. 12 फरवरी, 2021 को या उसके आसपास जिला स्वास्थ्य समिति ने जिला अधिकारी, पूर्णिया को सूचित किया कि धन की कमी के कारण जिला स्वास्थ्य समिति कार्यकारी सहायकों को वेतन का भुगतान नहीं कर सकती है। इसलिए, कार्यकारी सहायकों को अन्य विभागों के रिक्त पदों पर रखने के लिए उनकी सेवा वापस लेने का अनुरोध किया गया था।

7. याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह कार्यपालक सहायकों को आरा और अररिया जिलों में अन्य सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर समायोजित किया गया था, लेकिन पूर्णिया के जिला अधिकारी ने बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक को पूर्णिया जिले में कार्यपालक सहायकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

8. याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया, जिसमें पूर्णिया जिले के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर उन्हें समाहित करने का अनुरोध किया गया था कार्यपालक सहायकों के रूप में, लेकिन जिला अधिकारी ने अवैध रूप से और ऊपर उल्लिखित राजपत्र अधिसूचना और 26 फरवरी, 2019 के आदेश के विपरीत कार्य किया, जिसके तहत संविदा पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई थी, और गलत तरीके से 23 दिसंबर, 2021 का एक पत्र जारी किया, जिसके माध्यम से उन्होंने याचिकाकर्ताओं की सूची बेल्ट्रॉन को भेज दी ताकि 18 अगस्त, 2021 के ज्ञापन संख्या 1347 के आलोक में उचित कदम उठाए जा सकें।

9. प्रतिवादी संख्या 2 ने राज्य/उत्तरदाताओं की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल के आधार पर की गई थी। कार्यकारी सहायकों की भर्ती प्रक्रिया जिलों से जिलों में भिन्न होती है। बीपीएसएम के अंतर्गत कार्यपालक सहायकों का पारिश्रमिक बेल्ट्रॉन द्वारा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों की तुलना में कम था। दोनों ही डेटा एंट्री सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसलिए, कार्यपालक सहायकों ने बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त किए गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ पारिश्रमिक में समानता की माँग की, क्योंकि उनका कार्य समान प्रकृति का है। समान कार्य के लिए वेतन की समानता के संबंध में कार्यपालक सहायकों की माँग पर विचार करते हुए, राज्य सरकार ने सभी जिलों में कार्यपालक सहायकों की भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करना आवश्यक समझा और बेल्ट्रॉन के माध्यम से एक समान परीक्षा प्रक्रिया द्वारा चुने गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए भी। इस प्रकार, बीपीएसएम की शासी परिषद ने 8 जुलाई, 2019 को अपनी बैठक में, जिले भर में कार्यकारी सहायकों के पैनलीकरण के संबंध में एकरूपता की कमी को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों के पैनलीकरण की एक समान परीक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध, जिलों के पैनल से कार्यकारी सहायकों की भर्ती को समाप्त करने का निर्णय लिया और निर्देश दिया कि बेल्ट्रॉन से डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध करके अन्य रिक्तियों को भरा जाए।

10. बीपीएसएम की शासी परिषद की 8 जुलाई, 2019 की बैठक का प्रस्ताव प्रति-शपथपत्र के साथ संलग्न है और अनुलग्नक सी के साथ अंकित

है। 11. उपरोक्त निर्णय के आधार पर, बीपीएसएम ने 31 जुलाई, 2019 / 2 अगस्त, 2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया कि अब से नई रिक्तियों के साथ-साथ कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त पदों को भी बीपीएसएम द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से भरा जाएगा। जैसे ही किसी जिले में कार्यपालक सहायकों के स्वीकृत पदों में रिक्ति होगी, उक्त रिक्ति को बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा आरक्षण रोस्टर बनाए रखते हुए भरा जाएगा। बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन बीपीएसएम द्वारा सीधे बेल्ट्रॉन को दिया जाएगा और बेल्ट्रॉन तदनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन देगा। प्रतिवादी संख्या 2 ने अन्य दस्तावेजों के साथ 13 दिसंबर, 2019 को मुख्य सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बीपीएसएम की शासी परिषद की बैठक का प्रस्ताव भी संलग्न किया।

12. प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि बेल्ट्रॉन द्वारा चल रही पैनल तैयारी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य कार्यालयों में कार्यकारी सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, शासी परिषद ने अपनी 13 दिसंबर, 2019 की बैठक में बेल्ट्रॉन द्वारा अपनी पैनल तैयारी प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरिम उपाय के रूप में जिला पैनल से कार्यकारी सहायकों की भर्ती की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह कुछ शर्तों के अधीन है, जैसे कि, अनुबंध केवल तीन महीने के लिए होगा, जिसे संबंधित विभाग/कार्यालयों की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित डाटा एंट्री ऑपरेटरों की परीक्षा उत्तीर्ण करें। उक्त अंतरिम व्यवस्था को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंततः उक्त अंतरिम व्यवस्था के खंड-4 के अनुसार, जिसका उल्लेख 23

दिसंबर, 2019 के ज्ञापन संख्या 2341 में किया गया है, इसे जनवरी, 2021 में समाप्त कर दिया गया, जब बेल्ट्रॉन ने डेटा एंट्री ऑपरेटरों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली। बेल्ट्रॉन द्वारा उक्त चयन के बाद, जिसकी सूचना राज्य सरकार को 8 जनवरी, 2021 के पत्र द्वारा दी गई थी, बीपीएसएम की शासी परिषद ने 5 फरवरी, 2021 की अपनी बैठक में यह संकल्प लिया कि जिन उम्मीदवारों की सेवाएँ रोजगार कार्यालय में अपेक्षित नहीं थीं और उन्हें पुनर्नियोजन की आवश्यकता थी, उनके मामले पर राज्य सरकार के ज्ञापन संख्या 12534, दिनांक 17 सितंबर, 2018 के निर्णय के आलोक में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि चूँकि बीपीएसएम ने पैनलीकरण प्रक्रिया रोक दी है, इसलिए वह सोसायटी के अंतर्गत पुनर्नियोजन प्रक्रिया नहीं कर सकता। चूँकि भर्ती प्रक्रिया बेल्ट्रॉन के अधीन है, इसलिए कोई भी पुनर्नियोजन बेल्ट्रॉन द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि उम्मीदवारों के हित में, उन्हें आगे की नियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए बेल्ट्रॉन के अंतर्गत सूचीबद्ध होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बेल्ट्रॉन द्वारा चयन के प्रावधानों के अनुसार, आयु में छूट के साथ-साथ विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के साथ। प्रतिवादियों ने यह भी आग्रह किया कि बेल्ट्रॉन ने 5 जुलाई, 2023 को पात्रता परीक्षा आयोजित की थी और सफल उम्मीदवारों को पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है। इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, राज्य प्रतिवादियों ने जिला अधिकारी, पूर्णिया द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया, जिसमें आवश्यक परीक्षण करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के नाम उनके चयन और सूचीबद्ध करने के लिए बेल्ट्रॉन को भेजे गए।

13. पूर्णिया के जिला अधिकारी और सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया ने एक अलग प्रति-शपथपत्र दायर किया

है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि नीतिगत निर्णय के तहत, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ने पत्र संख्या 1187, दिनांक 3 जून, 2020 के माध्यम से सभी सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समितियों, बिहार को सूचित किया है कि मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना को बिहार के सभी 38 जिलों में डेटा केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए चुना गया है। अतः उक्त आदेश के अनुसार, सभी परिणामी आदेश पारित किए गए हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त प्रतिवादी यह भी प्रस्तुत करते हैं कि इसी प्रकार के मामले का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 2020 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7250, दिनांक 21 जनवरी, 2021 के आदेश के तहत, याचिकाकर्ताओं को नई आउटसोर्सिंग एजेंसी, अर्थात् उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, के समक्ष संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।

14. वे यह भी तर्क देते हैं कि तत्काल रिट याचिका मैसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्षकार उत्तरदाताओं के रूप में गैर-याचिकाकर्ता के लिए खराब है।

15. याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 8 और 11 द्वारा 23 जनवरी, 2023 को दायर प्रति-शपथपत्र पर एक प्रत्युत्तर दायर किया है, जिसमें इस तर्क का खंडन करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी कहा गया है कि बीपीएसएम द्वारा जारी 6 जून, 2013 की अधिसूचना के अनुसरण में, जिला मजिस्ट्रेट, पूर्णिया की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल हैं। उनके पैनल में शामिल होने के बाद, पूर्णिया के जिला अधिकारी ने दिनांक 20 नवंबर, 2013 के आदेश के तहत पैनल में शामिल याचिकाकर्ताओं को राज्य स्वास्थ्य

समिति के स्वास्थ्य सह कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 8592, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 और ज्ञापन संख्या 9842, दिनांक 10 दिसंबर, 2013 के आधार पर पूर्णिया जिले के राजकीय अस्पतालों में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अतिरिक्त मिशन निदेशक द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 436, दिनांक 26 फरवरी, 2019 के तहत, याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों की सेवाओं को 60 वर्ष की आयु तक या योजना/कार्यक्रम की समाप्ति तक बढ़ा दिया गया। हालाँकि, 18 अगस्त, 2021 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ धन की कमी के कारण प्रतिष्ठान को वापस कर दी गई हैं और उसके बाद से, जिला मजिस्ट्रेट, पूर्णिया द्वारा याचिकाकर्ताओं को उपयुक्त रिक्त पदों पर नियुक्त नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी आग्रह किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा 2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7250, दिनांक 21 जनवरी, 2021 में पारित निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत लागू नहीं होता है।

16. 13 अगस्त, 2024 को पुनः प्रतिवादी सं. 11 ने एक पूरक प्रति-शपथपत्र दायर किया और प्रस्तुत किया कि पत्र संख्या 1187, दिनांक 3 जून, 2020 के माध्यम से, स्वास्थ्य समिति की ओर से एक सूचना दी गई थी कि सभी 38 जिलों में, मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आउटसोर्स किए गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों को राज्य स्वास्थ्य समिति और मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए एक समझौते के अनुसार याचिकाकर्ताओं और अन्य के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। चूँकि याचिकाकर्ताओं को मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा

आउटसोर्स नहीं किया गया था, इसलिए वे जिला स्वास्थ्य समिति के नियंत्रण वाले कार्यालयों में तैनात होने के हकदार नहीं हैं।

17. प्रतिवादी संख्या 11 ने 23 अगस्त, 2024 को दूसरा अनुपूरक प्रति-शपथपत्र दायर किया, जिसमें उन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख किया गया और आगे कहा गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति और मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित समझौते के मद्देनजर कि वे राज्य स्वास्थ्य समिति के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में डेटा एंट्री की सेवाएं प्रदान करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराएंगे, याचिकाकर्ताओं को हटा दिया गया और उनकी सेवाएं जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया द्वारा ज्ञापन संख्या 14161, दिनांक 23 दिसंबर, 2021 के तहत बेल्ट्रॉन को वापस कर दी गईं और उनके स्थान पर कुल मिलाकर पूर्णिया जिले में 31 ऑपरेटर कार्यरत हैं, जिनकी सेवाएं मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई हैं।

18. प्रतिवादी संख्या 7, कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया ने एक अलग प्रति-शपथपत्र दायर किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 8 और 11 द्वारा बताई गई तथ्यात्मक परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है।

19. 6 फरवरी, 2025 को प्रतिवादी संख्या 11 ने एक पूरक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी कहा गया कि 3 जून 2020 को, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने एक सूचना जारी की कि सभी 38 जिलों के डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती आउटसोर्सिंग एजेंसी, अर्थात् मेसर्स उर्मिला सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी, जिसके साथ राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एक समझौता किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 11 के पास याचिकाकर्ताओं को उनके पदों से हटाने के अलावा कोई

विकल्प नहीं था और मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की सिफारिश के अनुसार 31 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्त किया गया है। प्रतिवादी संख्या 11 यह भी प्रस्तुत करती है कि उनकी उम्मीदवारी मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लिमिटेड और उन्हें उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्यकारी सहायकों के स्थान पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए अनुशंसित किया गया था और उन्हें पूर्णिया जिले में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया है।

20. राज्य स्वास्थ्य समिति (प्रतिवादी संख्या 7) ने भी 5 अप्रैल 2025 को तीसरा अनुपूरक प्रति-शपथपत्र दायर किया और इस आधार पर तत्काल रिट याचिका की स्थिरता को चुनौती दी कि समिति समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और समिति के मामलों का प्रबंधन और विनियमन राज्य स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय द्वारा किया जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति को अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी निजी एजेंसी को आउटसोर्स करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त तर्क के समर्थन में, राज्य स्वास्थ्य समिति ने 21 फरवरी 2018 की 27 वीं शासी निकाय बैठक के कार्यवृत्त की फोटोकॉपी और राज्य स्वास्थ्य समिति की मानव संसाधन नीति का प्रासंगिक अंश प्रति-शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया है।

21. याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों द्वारा 22 फरवरी 2025 को दायर किए गए पूरक प्रति-हलफनामे का प्रत्युत्तर दायर किया है, मुख्यतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रति-हलफनामे के विरुद्ध। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रति-हलफनामे में दर्शाए गए राज्य प्रतिवादियों के तर्क का खंडन और खंडन किया है और प्रस्तुत किया है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से तैयार किया गया पैनल संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए पैनल के माध्यम

से चुने गए कार्यकारी सहायकों के अतिरिक्त था। राज्य सरकार प्रति-शपथपत्र में कोई भी ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रही है जिससे यह पता चले कि वर्ष 2013 में प्रत्येक ज़िले के लिए जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए कार्यकारी सहायकों के पैनल उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर समाप्त/रद्द कर दिए गए थे। इसके विपरीत, राज्य प्रतिवादियों की ओर से दायर दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बेल्ट्रॉन को कार्यकारी सहायकों के रिक्त पदों को भरने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों का पैनल तैयार करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सरकार द्वारा 18 सितंबर, 2018 के राजपत्र अधिसूचना के तहत लिए गए प्रासंगिक निर्णय को दोहराया। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि निधि की कमी के कारण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ पूर्णिया के जिला अधिकारी को ज्ञापन संख्या 956 दिनांक 18 अगस्त 2021 के माध्यम से वापस कर दी गई हैं। ऐसी परिस्थितियों के कारण, पूर्णिया के जिला अधिकारी का कर्तव्य था कि वे याचिकाकर्ताओं को जिले के अन्य विभागों या बिहार राज्य के अन्य जिलों में कार्यपालक सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्त करें। याचिकाकर्ताओं ने दोहराया है कि जब अन्य जिलों, अर्थात् आरा और अररिया के कार्यपालक सहायकों को अन्य विभागों में समाहित किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं को ऐसे अधिकार से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

22. ये सभी तत्काल रिट याचिका में प्रतिवादी पक्षों द्वारा की गई दलीलों के बारे में हैं।

23. श्री पी. के. वर्मा, विद्वान एएजी 3 और श्री के. के. सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, स्वास्थ्य सोसाइटी की ओर से, अपनी दलीलों के दौरान, इस आधार पर रिट याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी कि याचिकाकर्ता संविदा

कर्मचारी हैं। उन्हें शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बीपीएसएमएस द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों/आदेशों के आधार पर स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर समय-समय पर उनकी अवधि बढ़ाई गई। हालाँकि, संविदा रोजगार की अवधि बढ़ाने से याचिकाकर्ताओं को 60 वर्ष की आयु तक या योजना/परियोजना के अंत तक, जो भी पहले हो, काम जारी रखने के अपने अधिकार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। विद्वान एएजी 3 द्वारा यह बताया गया है कि अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय, याचिकाकर्ताओं ने एक क्षतिपूर्ति बांड पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि वे राज्य सरकार में स्थायी रोजगार की कोई मांग नहीं करेंगे या नहीं उठाएंगे। याचिकाकर्ता उक्त बांड से बंधे हैं और वे पूर्णिया जिले या बिहार राज्य के किसी अन्य जिले में कार्यकारी सहायक के रूप में अपनी नौकरी की स्थायी प्रकृति का दावा नहीं कर सकते।

24. दूसरे, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, प्रतिवादी सं. 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पूर्णिया के जिला अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से डेटा प्रविष्टि के कार्य के लिए कार्यपालक सहायकों का पैनल तैयार किया गया था और उनकी सेवाएँ पूर्णिया जिले में स्थित राज्य के अस्पतालों में मरीजों, उनके उपचार, उन्हें दी जाने वाली दवा आदि के संबंध में डेटा प्रविष्टि कार्य करने के लिए प्रतिवादी संख्या 11 के अधीन रखी गई थीं। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी के विरुद्ध रिट याचिका विचारणीय नहीं है। अतः, रिट याचिका विचारणीय नहीं है। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा समान

तथ्यों और परिस्थितियों पर पारित कई निर्णयों का उल्लेख किया है। उन्होंने सबसे पहले इस न्यायालय द्वारा **21 जनवरी 2021** के आदेश के तहत **2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7250** में पारित एक अप्रकाशित निर्णय का उल्लेख किया है। रिट याचिका का निपटारा करते हुए एक समन्वय पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य सोसाइटी की डेटा प्रबंधन सेवा वर्तमान में नए जोड़े गए निजी प्रतिवादी को आउटसोर्स की गई है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करने की अनुमति के अपने दावे के संबंध में निजी प्रतिवादी से संपर्क करना चाहिए। उपरोक्त निर्णय में यह दर्ज है कि निजी प्रतिवादी, अर्थात् मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 13 जोड़ा गया) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह वचन दिया कि आवश्यकतानुसार, और याचिकाकर्ताओं के समान स्थिति वाले अन्य लोगों, जो पहले डेटा प्रबंधन सेवा के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, के साथ समानता बनाए रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार, रिट न्यायालय ने अंततः उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया और याचिकाकर्ताओं को जोड़े गए प्रतिवादी संख्या 13 के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की। **2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10938** वाली एक अन्य रिट याचिका **3 अक्टूबर, 2023** को एक समन्वय पीठ द्वारा निपटा दी गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत मुख्य रूप से एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध थी, इसलिए, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और उक्त रिट याचिका फिर से खारिज कर दी गई, जिससे याचिकाकर्ताओं को आउटसोर्सिंग एजेंट, अर्थात् उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से कानून के अनुसार उचित उपाय प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिल गई। इसी तरह का आदेश **2020 का दीवानी रिट**

क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6906 में 03 जुलाई 2020 को पारित किया गया था। इस न्यायालय ने **2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7092** भी **09 दिसंबर 2021** को निपटारा किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि याचिकाकर्ता की शिकायत निजी संस्था के विरुद्ध है और रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। **2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9993** निपटारा एक समन्वय पीठ द्वारा **19 सितंबर, 2023** को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ किया गया: -

> *"5. याचिकाकर्ताओं को राज्य या उसके प्राधिकरणों के साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है, जैसा कि अनुलग्नक 1 श्रृंखला से स्पष्ट है, जिसके तहत उन्हें निजी संस्था इंफोसिस्टम एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभिन्न केंद्रों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।*
>
> *6. याचिकाकर्ताओं को अनुलग्नक 8 द्वारा व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, जिसमें केवल यह कहा गया है कि इंफोसिस्टम एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बजाय, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज को 28.02.2020 पर उर्मिला इंटरनेशनल के साथ किए गए अनुबंध को देखते हुए प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।यह पत्र याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौजूदा अधिकार, या राज्य प्राधिकरणों पर किसी भी संबंधित दायित्व को प्रभावित नहीं करता है, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण और विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र को लागू करने की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, याचिकाकर्ता के कहने पर रिट को किसी भी सबूत से रहित पाया जाता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।"*

25. इसी प्रकार का आदेश **2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13500 दिनांक 04 जनवरी, 2022** के आदेश द्वारा पारित किया गया था। **2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10148 दिनांक 1 दिसंबर 2021** के आदेश द्वारा, **2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या**

17633 दिनांक 21.11.2024 के आदेश द्वारा और **2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9967 दिनांक 18 जुलाई, 2024** के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

26. राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिकाओं में पारित उपर्युक्त आदेश अपने अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं। उपर्युक्त आदेशों के अनुसार, यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

27. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष गिरि ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं का निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई दावा नहीं है। याचिकाकर्ताओं को पूर्णिया जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यकारी सहायक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जो कि संविदा के आधार पर था। याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ पूर्णिया जिले के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिवादी संख्या 11 के अधीन रखी गई थीं। वे 12 फरवरी, 2021 तक निरंतर और निर्बाध रूप से उक्त कार्य कर रहे थे। इसके बाद, सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया ने उप समाहर्ता (स्थापना), पूर्णिया को सूचित किया कि धन की कमी के कारण, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ने जिला स्वास्थ्य समिति को मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना के नाम और शैली वाली एक निजी एजेंसी से कार्यपालक सहायकों/कंप्यूटर ऑपरेटरों का कार्य लेने का निर्देश दिया है। क्योंकि जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया कार्यपालक सहायकों को वेतन का भुगतान नहीं कर सकी, उनकी सेवाएँ जिला अधिकारी, पूर्णिया के अधीन दिनांक 12 फरवरी 2021 के एक पत्र द्वारा रख दी गईं। इस प्रकार,

याचिकाकर्ताओं को आज तक समाप्त या हटाया नहीं गया। उनकी संविदात्मक नौकरी नहीं समाप्त की गई। यह रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि राज्य प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट जारी की जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या उस योजना के पूरा होने/समाप्ति तक काम करने की अनुमति दें जहाँ वे अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए तैनात हैं, जो भी पहले हो।

28. अपने तर्क के समर्थन में, श्री गिरि ने बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बीपीएसएम द्वारा जारी दिनांक 26 फरवरी 2019 के आदेश संख्या 436 का हवाला दिया है। उक्त आदेश का पैराग्राफ संख्या 1 (अनुलग्नक-7) इस प्रकार है:

> "1. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पद परनियोजित आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायकत कर्यपालक सहायक की नियोजन अवधि के सम्बन्ध में:-
>
> i. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायक तथा कर्यपालक सहायक का नियोजन पूरी तरह अस्थायी है तथा योजना अवधि समाप्ति अथवा ६० वर्ष की आयु, जो पहले लागु हो, तक के लिए है। फलत: संविदा कर्मियों का प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
>
> ii. अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजना अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु, जो पहले लागु हो. के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्तकी जा सकती है।

iii. संविदा नियोजन की अन्य शर्तें नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र/ एकरारनामा में अंकित यथावत रहेंगी।"

29. इस प्रकार, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बीपीएसएम द्वारा यह निर्णय लिया गयाः-

(i) बीपीएसएमएस के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक और कार्यकारी सहायक का रोजगार पूर्णतः अस्थायी है और योजना की समाप्ति तक या 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा। <u>परिणामस्वरूप, संविदा कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को हर वर्ष बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।</u>

(ii) खराब स्वास्थ्य या अनुशासनात्मक आधार या असंतोषजनक सेवा के कारण प्राधिकरण द्वारा सेवा को योजना अवधि या 60 वर्ष, जो भी पहले हो, से पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

(iii) संविदात्मक रोजगार की अन्य शर्तें वैसी ही होंगी जैसी रोजगार के समय जारी किए गए रोजगार पत्र/समझौते में उल्लिखित हैं।

30. श्री गिरि द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि आदेश 26 फरवरी को दिया गया था। 2019 इसकी घोषणा से याचिकाकर्ताओं द्वारा क्षतिपूर्ति बांड के माध्यम से निष्पादित प्रारंभिक समझौते का प्रभाव दूर हो जाता है। याचिकाकर्ता का काम 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या उस योजना के पूरा होने या बंद होने तक संरक्षित था जहां वे काम कर रहे हैं और याचिकाकर्ताओं को तीन आधारों के अलावा समाप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात (ए) खराब स्वास्थ्य, (बी) अनुशासनात्मक आधार और (सी) असंतोषजनक सेवा। याचिकाकर्ताओं को उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 436, दिनांक 26 फरवरी, 2019 के आधार पर आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और अवैतनिक अवकाश भी प्रदान किया गया।

31. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से डीईओ की नियुक्ति करने का बाद का निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 436, दिनांक 26 फरवरी, 2019 और असाधारण राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18 सितंबर, 2019 के आधार पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

32. मैंने पहले ही उक्त राजपत्र अधिसूचना के प्रासंगिक अंश बता दिए हैं।

33. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में ***विनोद कुमार बनाम भारत संघ*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया, जो ***(2024) 9 एससीसी 327*** में रिपोर्ट किया गया था। इस रिपोर्ट किए गए निर्णय में, अपीलकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उनके कर्तव्यों की मूल प्रकृति, जो अस्थायी या योजना-आधारित भूमिकाओं के बजाय नियमित रोजगार से जुड़ी है, जिसके लिए उन्हें मूल रूप से नियुक्त किया गया था। उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर पदोन्नति भी प्रदान की गई थी। वे एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष नियमितीकरण की प्रार्थना की। रिट याचिका खारिज होने पर, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 5 में निम्नलिखित निर्णय दिया: -

"5. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, जब समय के साथ रोजगार का वास्तविक पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। नियमित कर्मचारियों की क्षमताओं में अपीलार्थियों की निरंतर सेवा, स्थायी पदों पर कार्यरत लोगों से अप्रभेद्य कर्तव्यों का पालन करना और एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन जो नियमित भर्ती को दर्शाता है, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की अस्थायी और योजना-विशिष्ट प्रकृति से एक ठोस विचलन का गठन करता है।इसके अलावा, अपीलार्थियों की पदोन्नति प्रक्रिया का संचालन और पर्यवेक्षण एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया गया था और उनकी भूमिकाओं की अस्थायी प्रकृति की पुष्टि किए जाने या इस तरह की अस्थायी नियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट किए जाने के किसी भी संकेत के बिना 25 वर्षों से अधिक समय तक उनकी निरंतर सेवा उनकी रोजगार स्थिति पर पुनर्विचार के योग्य है।

6. उमादेवी (3) [कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3), (2006) 4 एससीसी 1: 2006 एससीसी (एल एंड एस) 753] में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुप्रयोग उपलब्ध तथ्यों के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता, उन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए जिनमें अपीलकर्ता कार्यरत थे और अपनी सेवा जारी रखी है। प्रारंभ में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर निर्भरता का इस्तेमाल उन मूलभूत अधिकारों को हमेशा के लिए नकारने के लिए नहीं किया जा सकता जो लगातार सेवा के दौरान काफी समय तक अर्जित हुए हैं। उनकी पदोन्नति रिक्तियों के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना और उसके बाद जारी एक परिपत्र पर आधारित थी, जिसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार वाली चयन प्रक्रिया हुई, जो उनके मामले को उमादेवी (3) [कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3), (2006) 4 एससीसी 1: 2006 एससीसी (एल एंड

एस) 753] में चर्चा की गई पिछले दरवाजे से की गई नियुक्तियों से अलग करती है।"

34. अंत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ नं. 8 निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

"8. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के आलोक में, यह न्यायालय अपीलार्थियों के तर्कों में योग्यता पाता है और यह मानता है कि उनकी सेवा की शर्तें, जो समय के साथ विकसित हुई हैं, अस्थायी से नियमित स्थिति में पुनर्वर्गीकरण की गारंटी देती हैं।उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता समानता, निष्पक्षता और रोजगार नियमों के पीछे के इरादे के सिद्धांतों के विपरीत है।"

35. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***श्रीपाल बनाम नगर निगम*** मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय का हवाला दिया, जिसे ***2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 221*** में रिपोर्ट किया गया था। नियोक्ता यह भी साबित करने में विफल रहा कि मजदूरी का भुगतान कभी भी बागवानी विभाग के अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा किया गया था, जो स्पष्ट रूप से श्रमिकों के दैनिक कार्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण की ओर इशारा करता है, जो नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की एक विशेषता है। यदि कोई वैध तृतीय-पक्ष ठेकेदार होता, तो निविदा नोटिस, अनुबंध समझौते, ठेकेदार द्वारा बनाए गए उपस्थिति रिकॉर्ड, या ठेकेदार के प्रतिनिधियों की गवाही का विवरण मौजूद होता। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे कि अपीलकर्ता "ठेकेदार के कर्मचारी" थे। दूसरी ओर, उक्त निर्णय के तथ्यों और परिस्थितियों ने संतोषजनक रूप से यह स्थापित किया कि अपीलकर्ता

कर्मचारियों ने प्रतिवादी नियोक्ता के नगरपालिका कार्यों विशेष रूप से पार्कों के रखरखाव, बागवानी कार्यों और शहर के सौंदर्यीकरण प्रयासों के अभिन्न अंग के रूप में कर्तव्यों का पालन किया। अंततः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 15 में निम्नलिखित निर्णय दिया: - .

> *"15. यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी कर्मचारियों ने कई वर्षों तक लगातार अपनी सेवाएं दीं, जो कभी-कभी एक दशक से अधिक समय तक चलती रहीं।भले ही कुछ मस्टर रोल पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, नियोक्ता की इस तरह के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफलता-ऐसा करने के निर्देशों के बावजूद-अच्छी तरह से स्थापित श्रम न्यायशास्त्र के तहत एक प्रतिकूल निष्कर्ष की अनुमति देती है। भारतीय श्रम कानून उन परिस्थितियों में स्थायी दैनिक-मजदूरी या संविदात्मक व्यस्तताओं को दृढ़ता से अस्वीकार करता है जहां काम स्थायी प्रकृति का होता है। नैतिक और कानूनी रूप से, जो कर्मचारी साल दर साल चल रही नगरपालिका आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें विशेष रूप से एक वास्तविक ठेकेदार समझौते के अभाव में, वितरण योग्य के रूप में संक्षिप्त रूप से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।इस मोड़ पर, अनिश्चितकालीन "अस्थायी" रोज़गार प्रथाओं की व्यापक आलोचना को याद करना उचित होगा, जैसा कि इस न्यायालय के जग्गो बनाम भारत संघ मामले में दिए गए हालिया फैसले में निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है:*
>
> *"22. अस्थायी रोजगार अनुबंधों का व्यापक दुरुपयोग, जैसा कि इस मामले में उदाहरण दिया गया है, एक व्यापक प्रणालीगत मुद्दे को दर्शाता है जो श्रमिकों के अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। निजी क्षेत्र में, गिग अर्थव्यवस्था के उदय ने अनिश्चित रोजगार व्यवस्थाओं में वृद्धि की है, जो अक्सर लाभों की कमी, नौकरी की सुरक्षा और उचित व्यवहार की विशेषता है। श्रमिकों का शोषण करने और श्रम मानकों को कम करने के लिए इस तरह की प्रथाओं की आलोचना की गई है। निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए*

सौंपे गए सरकारी संस्थानों की इस तरह की शोषणकारी रोजगार प्रथाओं से बचने की और भी बड़ी जिम्मेदारी है।जब सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं अस्थायी अनुबंधों के दुरुपयोग में संलग्न होती हैं, तो यह न केवल गिग अर्थव्यवस्था में देखे गए हानिकारक रुझानों को दर्शाता है, बल्कि एक ऐसी मिसाल भी स्थापित करता है जो सरकारी कार्यों में जनता के विश्वास को कम कर सकती है।

... ...

25. यह एक निराशाजनक वास्तविकता है कि अस्थायी कर्मचारी, विशेष रूप से सरकारी संस्थानों में, अक्सर शोषण के बहुआयामी रूपों का सामना करते हैं। हालाँकि अस्थायी अनुबंधों का मूल उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी ज़रूरतों को पूरा करना रहा होगा, लेकिन ये धीरे-धीरे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने का एक तरीका बन गए हैं। ये प्रथाएँ कई तरीकों से प्रकट होती हैं:

• "अस्थायी" लेबलों का दुरुपयोगः एक संस्थान के कामकाज के लिए आवश्यक, आवर्ती और अभिन्न कार्य में लगे कर्मचारियों को अक्सर "अस्थायी" या "संविदात्मक" के रूप में लेबल किया जाता है, भले ही उनकी भूमिकाएं नियमित कर्मचारियों की भूमिकाओं को प्रतिबिंबित करती हों।इस तरह का गलत वर्गीकरण श्रमिकों को गरिमा, सुरक्षा और लाभों से वंचित करता है जो समान कार्य करने के बावजूद नियमित कर्मचारी हकदार हैं।

• मनमाने ढंग से समाप्तिः अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर बिना किसी कारण या सूचना के बर्खास्त कर दिया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है।यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है और श्रमिकों को उनकी सेवा की गुणवत्ता या अवधि की परवाह किए बिना निरंतर असुरक्षा की स्थिति में डालती है।

• कैरियर में प्रगति की कमीः अस्थायी कर्मचारी अक्सर खुद को कौशल विकास, पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अवसरों से वंचित पाते हैं।वे अपनी भूमिकाओं में स्थिर रहते हैं, उनके योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद,

उनके और उनके नियमित समकक्षों के बीच एक प्रणालीगत असमानता पैदा करते हैं।

• शील्ड के रूप में आउटसोर्सिंग का उपयोगः संस्थान तेजी से अस्थायी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली आउटसोर्सिंग भूमिकाओं का सहारा लेते हैं, प्रभावी रूप से शोषित श्रमिकों के एक समूह को दूसरे के साथ बदल देते हैं।यह प्रथा न केवल शोषण को कायम रखती है, बल्कि नियमित रोजगार प्रदान करने के दायित्व को दरकिनार करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास को भी प्रदर्शित करती है।

• बुनियादी अधिकारों और लाभों से इनकारः अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और वेतन सहित छुट्टी जैसे मौलिक लाभों से वंचित कर दिया जाता है, भले ही उनका कार्यकाल दशकों का हो।सामाजिक सुरक्षा की इस कमी ने उन्हें और उनके परिवारों को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से बीमारी, सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामलों में।"

36. ***श्रीपाल*** (उपरोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***जग्गो बनाम भारत संघ*** मामले में पूर्व पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट ***2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3826*** में दी गई है। मैंने पहले ही ***श्रीपाल*** (उपरोक्त) के पैरा संख्या 15 को उद्धृत कर दिया है, जबकि **जग्गो** (उपरोक्त) के पैरा संख्या 22 और 25 को उद्धृत किया गया है, इसलिए, आगे चर्चा आवश्यक नहीं लगती।

37. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे इस न्यायालय के एक अप्रकाशित निर्णय का उल्लेख किया है, जो 2021 का **दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13895 (गौरी शंकर शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं अन्य के माध्यम से)** में **16 मई, 2024** को पारित किया गया था। उपर्युक्त निर्णय में,

इस न्यायालय ने अत्यंत सम्मानपूर्वक ***विनोद कुमार*** (उपरोक्त) मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किया है। अनुक्रमण के जोखिम पर, यह न्यायालय ***उमा देवी*** (उपरोक्त) मामले में दिए गए अनुच्छेद संख्या 53 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को दर्ज करने का इच्छुक है।

> "53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ अनियमित नियुक्तियाँ (अवैध नियुक्तियाँ नहीं) जैसा कि एस.वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एससीआर 128 : एआईआर 1967 एससी 1071], आर.एन. नंजुंदप्पा [(1972) 1 एससीसी 409 : (1972) 2 एससीआर 799] और बी.एन. नागराजन [(1979) 4 एससीसी 507 : 1980 एससीसी (एल एंड एस) 4 : (1979) 3 एससीआर 937] और ऊपर पैरा 15 में उल्लिखित, विधिवत रूप से स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की गई होंगी और कर्मचारियों ने अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा होगा। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में निर्धारित सिद्धांतों और इस निर्णय के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके तंत्रों को ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को एकमुश्त उपाय के रूप में नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के तहत नहीं और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियाँ की जाएँ जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहाँ अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

> वर्तमान में कार्यरत हैं। यह प्रक्रिया इस तिथि से छह महीने के भीतर शुरू होनी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई नियमितीकरण पहले ही हो चुका है, लेकिन न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, तो उसे इस निर्णय के आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त न किए गए लोगों को नियमित या स्थायी नहीं किया जाना चाहिए।"

38. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि ***2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13550*** (कुमार गौतम आनंद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं अन्य के माध्यम से) में समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय, जिस पर राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, को *पूर्व निर्णय* (पूर्व उदाहरण) नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त मामले में, रिट याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि याचिकाकर्ता न्यायालय को यह बताने में विफल रहे कि वे उनकी सेवाओं में समाहित होने के हकदार हैं।

39. दूसरी ओर, विद्वान एएजी, इस न्यायालय के **2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5823** में एक समन्वय पीठ (समक्ष: माननीय श्री चक्रधारी शरण सिंह, जैसा कि उस समय उनके माननीय थे) द्वारा दिनांक **23 अगस्त 2021** के आदेश द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हैं। उपर्युक्त अप्रकाशित निर्णय में, समन्वय पीठ द्वारा यह माना गया है कि बीपीएसएम का नीतिगत निर्णय, जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 जुलाई, 2019 को जारी आदेश में परिलक्षित होता है, इससे पहले कि याचिकाकर्ता वास्तव में

नियुक्त किए गए थे, अनुचित, मनमाना, अनधिकृत या अन्यथा अवैध नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैनल से कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि बिहार सरकार का उपक्रम है, न कि एक निजी निकाय।

40. समन्वय पीठ ने यह भी माना कि अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर का ज्ञान एक कार्यकारी सहायक द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। स्पष्टतः, उक्त पृष्ठभूमि में, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बीपीएसएम द्वारा बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए नामों के आधार पर पंचायतों के लिए कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति करने का नीतिगत निर्णय लिया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार, निर्णय के पैराग्राफ संख्या 15 और 16 में, समन्वय पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:- .

> *"15. यह पता चला है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नालंदा जिले सहित कुछ जिलों में एक विज्ञापन के अनुसार पैनल तैयार किए गए थे, ऐसे पैनलों से कार्यपालक सहायकों को इस शर्त के साथ नियुक्त करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उक्त नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से जिला स्तरीय विज्ञापन के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है, जिन्हें बीपीएसएमएस के पूर्व निर्णय और सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 31.07.2019 के बाद के आदेश के मद्देनजर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। यदि 23.12.2019 के आदेश की प्रकृति में कोई निर्णय नहीं होता, तो याचिकाकर्ता केवल पैनल में अपने नाम शामिल करने के आधार पर अपनी नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता बीपीएसएमएस और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनके हित में लिए गए निर्णय को चुनौती दे रहे*

हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के मानक की परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से जनहित में है जो संबंधित पद की आवश्यकता के अनुरूप है।

16. संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होने के आधार पर आक्षेपित आदेश और उसके बाद की कार्रवाई को आगे चुनौती देना बिल्कुल भी सही नहीं है। चयन प्रक्रिया के तहत समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के बीच भेदभाव का कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ता इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकते कि अन्य जिलों में नियुक्तियाँ बीपीएसएमएस/राज्य सरकार के निर्णय से पहले की गई थीं, जैसा कि 31.07.2019 के आदेश में निहित है, क्योंकि उक्त नियुक्तियाँ (एसआई) पूरी तरह से अलग-अलग चयन प्रक्रियाओं के तहत की गई थीं।"

41. मैंने पक्षों की दलीलों पर विस्तार से चर्चा की है। मैंने याचिकाकर्ताओं और राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर भी विचार किया है।

42. सबसे पहले, यह न्यायालय यह उल्लेख करना चाहता है कि ***2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5823*** में समन्वय पीठ का निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत लागू नहीं होता है। मैं कारण बताता हूँ। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा ***2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5823*** में पारित उपर्युक्त निर्णय की तथ्यात्मक परिस्थितियाँ यह हैं कि प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने राज्य के जिलाधिकारियों को दिनांक 28 जुलाई 2018 के पत्र द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज स्तर पर कार्यकारी सहायकों की नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने का अनुरोध किया था। पंचायती राज के प्रमुख सचिव द्वारा पारित इस आदेश के आधार पर, नालंदा के

जिला अधिकारी ने 30 सितंबर 2018 तक कार्यपालक सहायकों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया के लिए आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 3 जून 2019 को पैनल प्रकाशित किया गया। पैनल तैयार होने के बाद, लेकिन याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति से पहले, बीपीएसएम ने 31 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य में कार्यपालक सहायकों के शेष स्वीकृत रिक्त पदों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से भरा जाएगा।

43. उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों के तहत, समन्वय पीठ ने माना कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने का बीपीएसएम का निर्णय जनहित में है और चूंकि याचिकाकर्ता किसी पंचायत में शामिल नहीं थे, इसलिए केवल पैनल में शामिल होने से याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं मिलता।

44. तत्काल मामले में, निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता 2013 से कार्यरत हैं। उनकी प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की गई थी, लेकिन बाद में उनकी सेवा अवधि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या परियोजना के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई। उन्हें नियमित सेवा के अन्य लाभ जैसे आकस्मिक अवकाश, उपार्जन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और अवैतनिक अवकाश प्रदान किए गए। उपर्युक्त अधिसूचना में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की छुट्टी के संबंध में आदेश पारित किया गया था, जिससे याचिकाकर्ताओं को अधिकार प्राप्त हुए और वे अपनी आवश्यकतानुसार छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं। उक्त अधिसूचना में आगे कहा गया है कि कार्यकारी सहायकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या परियोजना के अंत से पहले, जो भी पहले हो, सेवा से नहीं हटाया जा सकता। (क) खराब स्वास्थ्य, (ख)

अनुशासनात्मक आधार और (ग) असंतोषजनक सेवा के आधार को छोड़कर। इस प्रकार, उक्त अधिसूचना संख्या 436 दिनांक 26 फरवरी 2019 ने याचिकाकर्ताओं के लिए नियमित कर्मचारियों के समान मूल्यवान अधिकारों की गणना की है। उक्त अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को हर साल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।

45. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पूर्णिया के जिला अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी। इसलिए, राज्य प्रतिवादियों या स्वास्थ्य समिति का यह दावा नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का पैनलीकरण जिला अधिकारी द्वारा बिना किसी चयन प्रक्रिया के मनमाने ढंग से किया गया था। चूँकि याचिकाकर्ता 2013 से पूर्णिया जिले के सरकारी अस्पतालों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए अब उन्हें 31 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 1382 के अनुसार बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

46. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिसूचना संख्या 1382 दिनांक 31 जुलाई, 2019 में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त पदों और रिक्त पदों की भर्ती की बात कही गई है। राज्य प्रतिवादियों की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र का अनुलग्नक-ई, बीपीएसएम के शासी परामर्शदाता की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 13 दिसंबर, 2019 को हुई 25 वीं बैठक का कार्यवृत्त है। उक्त बैठक के एजेंडा एक में निम्नलिखित संकल्प लिया गया:

> "दिनांक-08.07.2019 को आहूत शासी परिषद की 23 वीं बैठक के कार्यावली बिंदु संख्या-04 पर लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार

प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आदेश ज्ञापांक-1382, दिनांक-31.07.2019 द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अब नये रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन बेल्ट्रान के माध्यम से किया जायेगा। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्तियां होंगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये बेल्ट्रान से डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। बेल्ट्रान द्वारा मांग के अनुरूप डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बेल्ट्रान द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री आपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रान को किया जायेगा।

इस क्रम में पंचायती राज विभाग एवं कतिपय जिलों से प्राप्त यह अनुरोध कि सरकार द्वारा संचालित/क्रियान्वित योजनाओं के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु जिला स्तरीय विभिन्न कार्यालयों/ विभागों की मांग के आलोक में

जिला स्तरीय पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाय, शासी परिषद की दिनांक-20.09.2019 को आहूत 24 वीं बैठक की कार्यावली बिंदु संख्या-06 के रूप में शासी परिषद की 23 वीं बैठक के उपरोक्त वर्णित निर्णय पर आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर शासी परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः-

> "निर्णयः आगामी डेढ़ माह में बेल्ट्रान के द्वारा विभाग/जिलों की अधियाचना के आलोक में डाटा इंट्री आपरेटरों की सेवाएँ उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकतानुसार शासी परिषद की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जाएगा।"

हाल की समीक्षा बैठकों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बेल्ट्रान से डाटा इंट्री आपरेटर की सेवाएँ नहीं मिल पाने से उनके महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों के बाधित होने का बिंदु उठाया गया है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक

सहायक के पैनल से कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों / जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ निम्नलिखित शर्तों के साथ उपलब्ध कराई जाएगीः

1. यह नियोजन मात्र 3 माह के लिए होगा।

2. 3 माह के नियोजन अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। दक्षता परीक्षा का स्तर बेल्ट्रान के डाटा इंट्री आपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा।

3. दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार 3 माह के उपरांत जारी रखा जा सकता है। अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। नियोजन के समय इस आशय

का दायित्व पत्र इन नियोजित कार्यपालक सहायकों से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4. नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रान द्वारा उसकी सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की जा सकेगी। उसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी नियोजन जिला स्तरीय पैनल से नहीं किया जाएगा।

5.- नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के साथ-साथ इन सभी नियोजित कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु जिला पदाधिकारियों द्वारा इन नियोजित कार्यपालक सहायकों का आन लाईन निबंधन हेतु बेल्ट्रान से अनुरोध किया जाएगा तथा उक्त क्रम में सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय पूर्ण की जाएगी।

6. बेल्ट्रान द्वारा निर्धारित शुल्क रु.1000/- प्रति अभ्यर्थी का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी / संबंधित विभाग / संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

7. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी का आदेश ज्ञापांक 1382 दिनांक 31.07.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा

47. उपरोक्त प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेल्ट्रॉन को बीपीएसएम द्वारा बाद में सृजित पद के संबंध में पैनल तैयार करने और किसी न किसी कारण से कार्यकारी सहायकों के पद पर हुई रिक्ति को भरने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता बेल्ट्रॉन द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से पैनल में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं थे।

48. विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री वर्मा ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी हैं। उन्हें किसी स्वीकृत पद पर सूचीबद्ध या तैनात नहीं किया गया था। उन्हें राज्य के स्वामित्व वाले अस्पतालों में डेटा एंट्री कार्य के उद्देश्य से वर्ष-दर-वर्ष अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। इसलिए, उन्हें इस रिट याचिका में किसी भी राहत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि नियोक्ता किसी विशेष कार्य के लिए कुशल कर्मचारियों को चाहता है, तो कर्मचारियों को उस विषय पर चयन परीक्षा देने का निर्देश दिया जा सकता है जिसमें वे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नई नियुक्ति दी जाएगी। एक नीतिगत निर्णय द्वारा, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अब बिहार राज्य के सभी विभागों में डेटा केंद्रों की सेवा प्रदाता है। इसलिए, जब प्रतिवादी संख्या 11 ने धन की कमी के कारण याचिकाकर्ताओं की सेवा वापस कर दी, तो पूर्णिया के जिला अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं का मामला बेल्ट्रॉन को भेज दिया और उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि नियोक्ता को हमेशा अपने कर्मचारियों की दक्षता पर विचार करने और उनकी परीक्षा लेने का अधिकार है।

49. विद्वान एएजी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क को उनके तर्क के दौरान विस्तृत किया गया है जब उन्होंने कहा कि जहाँ स्वामी और सेवक का संबंध विशुद्ध रूप से संविदात्मक है, वहाँ व्यक्तिगत सेवा का ऐसा अनुबंध विशिष्ट रूप से लागू करने योग्य नहीं है, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 में निहित प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए। भले ही रोजगार अनुबंध की समाप्ति (बर्खास्तगी या अन्यथा) अवैध या उल्लंघनकारी पाई जाती है, कर्मचारी का उपाय केवल हर्जाना मांगना है, विशिष्ट निष्पादन नहीं। न्यायालय न तो ऐसी समाप्ति को अमान्य घोषित करेंगे, न ही यह घोषित करेंगे कि रोजगार अनुबंध अस्तित्व में है और न ही बहाली का परिणामी राहत प्रदान करेंगे।

50. उपरोक्त नियम निश्चित रूप से तीन सुप्रसिद्ध अपवादों के अधीन है। वे हैं:

(i) जहां किसी सिविल सेवक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (या अनुच्छेद 309 के तहत बनाई गई किसी कानून) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेवा से हटा दिया जाता है;

(ii) जहां 2022 के पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.8991 का संरक्षण रखने वाला कर्मचारी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को गलत तरीके से सेवा से समाप्त कर दिया गया है; और

(iii) जहां किसी वैधानिक निकाय के कर्मचारी को किसी कानून या वैधानिक नियमों के किसी अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन या उल्लंघन में सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

51. विद्वान एएजी के अनुसार, इस प्रकार, वैधानिक नियमों द्वारा शासित सार्वजनिक रोजगार और पूर्णतः अनुबंध द्वारा शासित निजी रोजगार के बीच एक स्पष्ट अंतर है। राहत, हर्जाना या परिणामी राहत के साथ बहाली की प्रकृति तय करने का

परीक्षण इस प्रश्न के निर्धारण पर आधारित है कि रोजगार पूर्णतः अनुबंध द्वारा शासित है या किसी क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा। यहाँ तक कि जहाँ नियोक्ता एक वैधानिक निकाय है, जहाँ संबंध पूर्णतः अनुबंध द्वारा शासित है और उसमें वैधानिक शासन का कोई तत्व नहीं है, वहाँ भी व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध विशेष रूप से लागू नहीं होगा। इसके विपरीत, जहाँ नियोक्ता एक गैर-वैधानिक निकाय है, लेकिन रोजगार किसी क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित है, वहाँ यह घोषणा कि समाप्ति अमान्य है और कर्मचारी को बहाल किया जाना चाहिए, अदालतों द्वारा दी जा सकती है।

52. उपरोक्त अवलोकन के समर्थन में, यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एस.एन. गोयल, (2008) 8 एससीसी 92*** में दिए गए निर्णय का हवाला दे सकता है।

53. हालाँकि, इस मामले में, तथ्यात्मक स्थिति कुछ अलग है। यह सच है कि याचिकाकर्ताओं को शुरू में जिला अधिकारी, पूर्णिया द्वारा गठित एक समिति द्वारा बीपीएसएम द्वारा जारी एक निर्देश के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद, जब याचिकाकर्ता काम कर रहे थे, राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 436, दिनांक 31 जुलाई, 2019 के तहत रोजगार की अवधि 60 वर्ष या परियोजना के अंत तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी। इस निर्णय के मद्देनजर, जिलों में कार्यकारी प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं के अनुबंध को साल-दर-साल नवीनीकृत नहीं करने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि उन्हें केवल खराब स्वास्थ्य, अनुशासनात्मक कारणों या सेवा में अक्षमता के आधार पर ही सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2019 की अधिसूचना द्वारा

उपरोक्त शर्तों को शामिल करने से राज्य प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध सेवा से हटाने के लिए कोई आदेश पारित करने की अनुमति नहीं मिलती है।

54. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि बीपीएसएम की शासी परिषद की 13 दिसंबर, 2019 को हुई 25 वीं बैठक का प्रस्ताव कि मौजूदा कार्यकारी सहायकों की सेवाओं को केवल तीन महीने के लिए बढ़ाया जाएगा कार्यकारी मनमानी का एक ज्वलंत उदाहरण है क्योंकि उक्त निर्णय 31 जुलाई, 2019 की अधिसूचना का घोर उल्लंघन करते हुए लिया गया था।

55. मैंने पक्षों की दलीलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। किसी भी प्रतिवादी ने अपने प्रति-शपथपत्रों और पूरक प्रति-शपथपत्रों में किसी भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह आरोप नहीं लगाया कि उनके द्वारा किए गए आधिकारिक कार्य मानक के अनुरूप नहीं थे या दूसरे शब्दों में, वे अक्षम थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 से डेटा प्रविष्टि के अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। यदि उनका कार्य असंतोषजनक पाया जाता, तो उन्हें या उनमें से किसी को भी 31 जुलाई, 2019 के सरकारी आदेश के आधार पर बर्खास्त किया जा सकता था, लेकिन प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2013 में लागू मौजूदा नियमों के तहत की गई थी। पुनरावृत्ति के जोखिम के साथ, यह कहा गया है कि उनकी सेवा शर्तों में 31 जुलाई, 2019 की अधिसूचना के आधार पर काफी संशोधन किया गया था, बल्कि बदलाव भी किया गया था। इसके बाद, वर्ष 2021 में, राज्य सरकार ने बिहार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में डेटा केंद्रों का संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कानूनी रूप से स्वीकार्य है, लेकिन श्रम कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सरकारी विभाग कार्यों और सेवाओं को आउटसोर्स कर सकते हैं,

लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।

56. हाल ही में, ***चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार एवं अन्य बनाम मोनिका एवं अन्य***, (2024 का दीवानी अपील संख्या 10800) के मामले में, जो 29 नवंबर, 2024 को तय हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या कोई आउटसोर्स कर्मचारी विश्वविद्यालय में नियमित रोज़गार के लिए वेटेज पाने का हकदार है, यह माना कि आउटसोर्सिंग नीति यह निर्धारित करती है कि सेवाओं को आवश्यकतानुसार विभागों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से आउटसोर्स किया जा सकता है, जहाँ पद अनुबंध के आधार पर स्वीकृत नहीं हैं।

57. ***जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य*** के मामले में, ***2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3826*** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 14 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

> *"14. अपीलकर्ताओं की सेवाओं की अचानक समाप्ति, उनके मूल आवेदन को न्यायाधिकरण के समक्ष खारिज करने के बाद, मनमाना था और किसी भी औचित्य से रहित था। बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के जारी किए गए समाप्ति पत्रों ने प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संविदा कर्मचारी भी अपने खिलाफ कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई किए जाने से पहले निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं, खासकर जब उनका सेवा रिकॉर्ड बेदाग हो। इस मामले में, अपीलकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया,*

न ही उन्हें उनकी बर्खास्तगी का कोई कारण बताया गया,

जो लगभग दो दशकों की समर्पित सेवा के बाद हुआ था।"

58. निस्संदेह, राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों को सरकारी विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग नीति के तहत एक सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

59. हालाँकि, उक्त नीतिगत निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, जिसमें संविदा कर्मचारियों, जो लंबे समय से समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, को कार्यकुशलता के आधार पर उनकी नौकरी समाप्त किए बिना, नए आवेदकों के साथ बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत डेटा केंद्रों में सेवा प्रदाताओं को श्रीमती उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आउटसोर्स करने का बाद का निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू नहीं होता है।

60. अंतिम, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, इस मुद्दे पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य के पदाधिकारी के अधीन कार्यरत एक संविदा कर्मचारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यकारी निर्देश को चुनौती दे सकता है, जब अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

61. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के साथ आरा और अररिया जिले में कार्यरत उनके साथी कार्यकारी सहायकों से अलग व्यवहार किया जाता है।

62. सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बीपीएसएम द्वारा समय-समय पर लिए गए कार्यकारी निर्णयों के आलोक में इस न्यायालय की विभिन्न

पीठों द्वारा निपटाई गई किसी भी रिट याचिका में इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया है।

63. उपरोक्त कारणों से, मैं पाता हूँ कि तत्काल रिट याचिका विचारणीय है और याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत के हकदार हैं:

ए. ज्ञापन संख्या 1416, दिनांक 23 दिसंबर, 2021, जिला मजिस्ट्रेट पूर्णिया के हस्ताक्षर से जारी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की सूची बेल्ट्रॉन को उचित कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत की गई है, को दरकिनार किया जाता है और अपास्त किया जाता है।

बी. यह घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 26 फरवरी, 2019 के ज्ञापन संख्या 436 में निहित अधिसूचना के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या योजना की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, कार्यकारी सहायक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के हकदार हैं।

सी. जिला अधिकारी, पूर्णिया को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं की सेवा इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किसी भी डेटा सेंटर में कार्यपालक सहायकों के रिक्त पदों पर, यदि कोई हो, नियुक्त करें। यदि ऐसी कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं को बिहार राज्य के अन्य जिलों के डेटा सेंटरों में नियुक्त किया जा सकता है।

डी. हालाँकि, याचिकाकर्ता अगस्त, 2021 माह से बकाया वेतन/वेतन पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कोई सेवा नहीं दी है।

64. उपरोक्त आदेश के साथ, इस रिट याचिका को चुनौती देने पर स्वीकार किया जाता है।

65. हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।